13 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 51वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 51.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड	ग्राम टिकगरिटा, बादशा एवं बदंगरदा, सुपर कोरिडोर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	52.643	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ग्राम कल्लाहल्ली, तालुक नंजुगुड, जिला मैसूर, कर्नाटक	बायोटेक (फार्मा)	10	हां	हां	नया
(iii)	मैसर्स रुचि रियलटी होल्डिंग्स लिमिटेड	गांव कानडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	14.25	हां	हां	नया
(iv)	मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	मंजरी बुडरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	जैव प्रौद्योगिकी	11.50675	हां	नहीं	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 24 जनवरी, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। एसजीआर प्राप्त होने की संभावना है। बैठक से पूर्व एसजीआर प्राप्त हो जाने पर विचार किया जाएगा।

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 51.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.6994 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। 0.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर 24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा पट्टा करार के अभाव में आस्थगित कर दिया गया। अब राजस्व विभाग को पट्टा विलेख की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त बहु उत्पाद्य एसईजेड 1000 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है। मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 32.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के तहत शामिल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। पट्टा करार के अभाव में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था। अब राजस्व विभाग को पट्टा विलेख की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26.1937 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में भवन तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एम्बेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई कि केवल प्रचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों के संचालन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, विकास आयुक्त ने दलील दी कि विगत में अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसी गतिविधियां अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ परियोजना के लिए औचित्य के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट दिनांक 17 फरवरी 2012 प्राप्त हो गई है जिसमें विकास आयुक्त ने मैसर्स एम्बेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट अनुबंध 1 (पृष्ठ 29-30) के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्द एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्द एसईजेड अधिसूचित किया गया है। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"डीजीईपी ने बताया कि एसईजेड में 4 कंटेनर टर्मिनल पहले से ही प्रचालन में हैं तथा एक और टर्मिनल स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसने टिप्पणी की कि ऐसे प्रस्तावों को केवल गैर आर्थिक लाभप्रदता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब निजी विकासक द्वारा निवेश किया जा रहा है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 28 नवंबर 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया था कि सह विकासक को पट्टा पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि सुधार के अधीन है और एसईजेड में भूमि के शामिल होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित साइट के निरीक्षण के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि उक्त भूमि अनुमोदित एसईजेड का हिस्सा है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, मुंद्रा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसमें मौजूदा सीटीएस के लोकेशन का उल्लेख हो अर्थात यह एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में या गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित है। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।"

विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड से इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है (अनुबंध 1-क, पृष्ठ 31-33)।

मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) ग्राम फिरोज़पुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट सोलर लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स आईएलएंडएफएस टाउनशिप एंड अर्बन असेट्स लिमिटेड का अनुरोध

105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अगस्त, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स आईएलएंडएफएस टाउनशिप एंड अर्बन असेट्स लिमिटेड ने एसईजेड में 3 मिलियन वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 4 जनवरी, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम भगान और कुरार इब्राहिमपुर, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा में मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड का अनुरोध

101.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 7 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 101.24 हेक्टेयर के संपूर्ण क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सूचित किया गया है कि 101.24 हेक्टेयर की संपूर्ण भूमि के लिए भौतिक अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए विकास लागत के बदले में प्रसंस्करण क्षेत्र में 15 एकड़ तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 5 एकड़ एसईजेड यूनिट तथा अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए पट्टा आधार पर आवंटित किए जाएंगे। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) चंडका औद्योगिक संपदा, भुवनेश्वसर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ओआईआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड का अनुरोध

58.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 20 एकड़ (8.094 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 दिसंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) ग्राम फिरोजपुर एवं रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अगस्त, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संरचना सहित एलिवेटेड वॉकवे	---	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर
2.	ट्रैवेलेटर्स	---	लंबाई औसतन 2500 मीटर, चौड़ाई	12500

			5 मीटर	वर्गमीटर
3.	पुल	1	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
4.	वाटर फाउंटेन	2	---	---
5.	पंपिंग स्टेशन	1	---	---
6.	सर्विस ट्रेंच	---	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संरचना सहित एलिवेटेड वॉकवे	---	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर
2.	ट्रैवेलेटर्स	---	लंबाई औसतन 2500 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर	12500 वर्गमीटर
3.	पुल	1	1250 वर्गमीटर	1250 वर्गमीटर
4.	वाटर फाउंटेन	2	---	---
5.	पंपिंग स्टेशन	1	---	---
6.	हेलीपैड	1	11500 वर्गमीटर	11500 वर्गमीटर
7.	एयर कंडीशनिंग सिस्टम	1	---	69000 टन का रेफ्रिजरेशन
8.	सर्विस ट्रेंच	---	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध [इस मद पर विचार करना उपर्युक्त मद 51.2(ii) के माध्यम से विचाराधीन मैसर्स एआईसीटीपीएल को सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने के अधीन है]

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में मद संख्या 51.2 (iv) के

माध्यम से 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए एआईसीटीपीएल का अनुरोध विचाराधीन है। मैसर्स एसीटीआईपीएल ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कंटेनर जेट्टी तथा संबद्ध सुविधाएं	----	लागू नहीं	43740
2.	कंटेनर यार्ड तथा संबद्ध सुविधाएं	----	लागू नहीं	422750

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एआईसीटीपीएल के अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस अनुरोध पर विचार किया जाना मैसर्स एआईसीटीपीएल को सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने के अधीन है।

(iii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में बिल्डिंग नंबर 14 की छत के ऊपर हेलीपैड का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि उक्त सुविधा हेलीकाप्टरों के प्रचालन को सुगम बनाएगी जो मुख्य रूप से बचाव कार्यों के लिए अपेक्षित होगा परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है। विकासक ने सूचित किया है कि रूफ टॉप की संरचना को संशोधित किया जाएगा ताकि बिल्डिंग की छत मजबूत हो सके तथा शेष संरचना / बिल्डिंग पूर्ववत बनी रहे। विकासक ने वचन दिया है कि उक्त परिसर में हेलीपैड की सुविधा शुरू करने से पूर्व संबंधित विभाग अर्थात भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण, डीजीसीए, बीसीएएस, एमएचए, पीसीबी, एमओईएफ आदि से सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

मद संख्या 51.4 : एसईजेड में कार्यपालकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा सृजित करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड को स्थान आवंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स इनफोपार्क जो केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

32.6246 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है, केरल सरकार के पूर्णत: स्वामित्व वाली संस्था है। कुल निर्मित क्षेत्रफल 1.56 लाख वर्गमीटर है तथा यहां कुल 60 यूनिटें हैं जिन्होंने लगभग 10000 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। दिसंबर 2011 तक वर्ष के दौरान एसईजेड से कुल निर्यात का मूल्य 609.44 करोड़ रुपए था।

विकासक ने एसईजेड में कर्मचारियों के प्रबंधन कौशल के उन्नयन के लिए सुविधा के सृजन के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ऑफ कैंपस सुविधा के संचालन के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कोझीकोड को विकासक के अतुल्य आईटी कम्प्लेक्स में 12500 वर्गफीट का निगमित क्षेत्रफल पट्टा पर दिया जाएगा तथा वे बैंक, एटीएम आदि की तरह सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेंगे।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने बताया है कि अधिकृत प्रचालनों की डिफाल्ट सूची में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना शामिल नहीं है। तथापि, मांगी गई अनुमति आईआईएम को निर्मित क्षेत्रफल पट्टा पर देने के लिए है। आईआईएम का विकासक इस प्रचालन पर किसी ड्यूटी / कर छूट का दावा नहीं करेगा। सृजित सुविधा एसईजेड की मौजूदा यूनिटों तथा सह विकासक के कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। इनफोपार्क का दूसरा चरण अधिसूचित नहीं हुआ है तथा अगले दो वर्षों के अंदर अधिभोग के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। प्रशिक्षण सुविधा इनफो पार्क एसईजेड के चरण 2 के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उस समय शिफ्ट की जाएगी जब यह अधिभोग के लिए तैयार हो जाएगा।

विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार सृजित सुविधा कर्मचारियों के कौशलों के उन्नयन के लिए एसईजेड के मौजूदा अधिभोक्ताओं के लिए उपयोगी होगी। इससे लंबी अवधि के लिए कुशल जनशक्ति को अपने पास बनाए रखने में उन्हें मदद मिलेगी। इसलिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है :

1) **प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना तथा इसका प्रचालन किसी ड्यूटी / कर छूट के लिए पात्र नहीं होगा।**
2) **प्रशिक्षण सुविधा केवल एसईजेड की यूनिटों, सह विकासक तथा विकासक के कर्मचारियों के लिए होगी :**
3) **सुविधा इनफो पार्क के चरण 2 के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उस समय शिफ्ट की जाएगी जब यह अधिभोग के लिए तैयार हो जाएगा।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गांव गौड़काशीपुर एवं अरिसल, तहसील जतनी, जिला खुर्द, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने प्रचालन के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

106.260 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 04 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड को 45.85 एकड़ (18.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए साफ्टवेयर विकास सुविधा की स्थापना के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब सह विकासक ने 5.069 एकड़ (2.06 हेक्टेयर) के अतिरिक्त क्षेत्रफल का विकास करने के लिए अनुरोध किया है जिससे उसके प्रचालन का कुल क्षेत्रफल 50.919 एकड़ (20.605 हेक्टेयर) हो जाएगा। जहां तक क्षेत्रफल में प्रस्तावित वृद्धि के कारणों का संबंध है, सह विकासक ने सूचित किया है कि बढ़े हुए क्षेत्रफल का विकास पार्किंग स्पेस, बस बे तथा अन्य सेवा क्षेत्र के लिए किया जाएगा। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।
क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 33.2545 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 04 जनवरी, 2012 को एलओए जारी किया गया था। इस विभाग में एसईजेड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 23.6585 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 56.9130 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। राजस्थान सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाक्रु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

235.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 18.12 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने तथा 150.78 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 102.41 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में आर्थिक परिदृश्य में नई घटनाओं तथा विभिन्न नीतियों में परिवर्तन के कारण ही विकासक ने उपर्युक्त के अनुसार स्थान के बेहतर उपयोग एवं दक्षता के लिए एसईजेड को रिएलायन करने का निर्णय लिया है। सूचित किया गया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। इसके अलावा विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा यह भी सूचित किया है कि प्रस्तावित वृद्धि / विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड संस्पर्शी बना रहेगा तथा सेक्टर के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी।

एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.6 : तीसरे से पांचवें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) झुंड सराय वीरन और भंगरोला पटौदी रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 67.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि गुड़गांव मानेसर अर्बन कम्प्लेक्स 2021 के मास्टर प्लान रोड के कारण सन्निकटता अव्यवस्थित हो गई है। इसके अलावा, सेक्टर रोड के एकीकरण के बगैर एसईजेड का मास्टर प्लान हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लंबित है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2011 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ii) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 58.3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 57.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा अनुसूची के अनुसार परियोजना के लागू न होने के कारण के रूप में वैश्विक मंदी का हवाला दिया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक एसईजेड में कार्य की प्रमुख मदों को पूरा कर चुका है तथा परियोजना को लागू करने का इच्छुक है। इसके अलावा विकासक परियोजना में 152 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2012 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 285 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल, 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाई गई। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि अवसंरचना को पूरा करने तथा यूनिटों का प्रचालन आरंभ करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अप्रैल 2012 के बाद एक साल की अवधि के लिए विकासक को पुन: विस्तार प्रदान करने की भी सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्र एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2011 तक परियोजना में 2986.35 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 103.0727 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2011 तक परियोजना में 228.99 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मल्टी सर्विसेज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 176.7080 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2011 तक परियोजना में 302.83 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vii) नंबर 51, शोलिंगानल्लूर गांव, पुराना महाबलिपुरम रोड, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हासिंडा इंफोटेक एंड रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 26.615 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने बताया है कि सतत वैश्विक मंदी के कारण वे परियोजना को लागू करने की स्थिति में नहीं थे तथा अब उन्होंने आईटी सेक्टर के उद्धार और एसईजेड स्पेस के लिए मांग में आत्मविश्वास व्यक्त किया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विकासक एक साल की बढ़ाई गई अवधि के अंदर परियोजना को लागू करने का इच्छुक है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा विकासक द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब को माफ करने का भी अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(viii) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.260 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 24 अक्टूबर, 2010 तक वैधता अवधि बढ़ाई गई। इसके बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड 45.58 एकड़ (18.56 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए साफ्टवेयर विकास की सुविधा स्थापित करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि भूलवश विकासक ने समय से वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया तथा उन्होंने विलंब को माफ करते हुए 25 अक्टूबर 2010 से 2 साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ix) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में 1215 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट के साथ एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 220.568 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 मई 2010 से समाप्त हो गई है तथा विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने भूलवश वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध नहीं किया था। 12 मार्च 2010 को यूनिट अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 16 के अनुसरण में वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया था। अब विकासक ने 22 मई 2013 तक औपचारिक मंजूरी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक ने काफी धनराशि का निवेश किया है तथा परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा दिसंबर 2012 तक एसईजेड का प्रचालन आरंभ हो जाने की संभावना है तथा मार्च 2013 तक निर्यात होने की संभावना है। इसलिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने विलंब को माफ करने तथा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(x) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 50.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जुलाई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 अक्टूबर 2010 से समाप्त हो चुकी है क्योंकि विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, ताकि वे परियोजना को पूरा कर सकें। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अलाभप्रद भौगोलिक लोकेशन में परियोजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इसलिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने तथा विलंब को माफ करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xi) कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को 47.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 47.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। एसईजेड में 6 यूनिटें हैं तथा एक सह विकासक अनुमोदित है। विकासक ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएं दाखिल की गईं जिनमें कोकापेट गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में भूमि के स्वामित्व तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान के दावे किए गए। न्यायिक मामले अभी भी लंबित है और इसलिए यूनिट धारक संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्राप्त

नहीं कर सके। विकासक ने बताया है कि 22 अक्टूबर 2012 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.7 : छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) प्लॉट नंबर टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि चारदीवारी, साइट कार्यालय, डीसी सह सीमा शुल्क कार्यालय तथा लघु विद्युत उप केन्द्र का निर्माण हो चुका है तथा आईटी / आईटीईएस संरचना का लगभग 250000 वर्गफीट पूरा होने की कगार पर है। विकासक ने यह भी कहा है कि आईटी सेक्टर ने आर्थिक मंदी के कारण कंपनी परिकल्पना के अनुसार परियोजना को लागू करने में समर्थ नहीं हो सकी। तथापि, अब आईटी कंपनियों से व्यवसाय के लिए पूछताछ प्राप्त होने लगी है। मैसर्स अर्थ इकोनामिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 15.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन कंपनियों ने एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा विकासक ने सिंगापुर में आधारित एक इंटरनेशनल ब्रोकर कंसल्टेंट को भी नियुक्त किया है जो बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों के लिए बैठकों तथा साइट विजिट की व्यवस्था कर रहा है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि परियोजना को लागू करने के लिए विकासक ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा 31 जनवरी 2012 तक की स्थिति के अनुसार 82.95 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा में 1620.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 अक्टूबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एलओए दिनांक 22 दिसंबर 2009 के माध्यम से 26 अक्टूबर 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके बाद एक बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। एलओए की वैधता अवधि 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उड़ीसा सरकार ने विकासक को 245.778 हेक्टेयर भूमि पट्टा पर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1253 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए 2 मई 2011 को उड़ीसा सरकार को अनुमोदन प्रदान किया है। दिसंबर, 2011 तक वन भूमि के पट्टा पर दिए जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि के अनुरोध पर 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 27 जनवरी 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर 2012 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.9 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) कालापट्टी गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में 24.055 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

24.055 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि आईटी / आईटीईएस उद्यमियों से पर्याप्त रिस्पांस प्राप्त नहीं हो रहा है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक द्वारा कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) लोट परषुराम, जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र में 141.6920 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

141.6920 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि जिस भूमि पर एसईजेड प्रस्तावित है वह रिफाइनरी परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित 3000 एकड़ भूमि का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) वाजुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि परिवर्तित स्थूल आर्थिक एवं कराधान परिदृश्य के कारण इसके लिए मांग नहीं है। विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.10 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम घोटावाडे, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विभू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 19 मई 2009 के माध्यम से घोटावाडे गांव, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 28.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विभू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि विकासक एवं एसईजेड यूनिटों पर मैट लगाया गया है तथा मार्च 2014 के बाद स्थापित यूनिटों के लिए आयकर लाभ वापस ले लिया गया है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि एसईजेड अधिसूचित नहीं हुआ है इसलिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के अनुसरण में उनके द्वारा कोई ड्यूटी लाभ तथा कर छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 50.11 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 अगस्त 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड जो ओर्गाडम, तमिलनाडु में सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

थिन फिल्म सोलर माड्यूल तथा उसके पार्ट्स के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 28 अगस्त 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था परंतु चूंकि

यूनिट दो तिहाई गतिविधि पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थी इसलिए विकास आयुक्त द्वारा वैधता अवधि नहीं बढ़ाई गई। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि यूनिट परियोजना को लागू करने की इच्छुक है तथा संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों की समय सूची संलग्न की है जिसके अनुसार अगस्त 2013 तक यूनिट के क्रियाशील हो जाने की संभावना है। इसलिए विकास आयुक्त ने 28 अगस्त 2011 से एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.12 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 फरवरी 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फुलक्रम लाजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 28 फरवरी 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स फुलक्रम लॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त द्वारा प्रदान की गई मूल वैधता अवधि के बाद दो साल का समय विस्तार प्रदान किया गया। इसके बाद 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक साल का समय विस्तार प्रदान किया गया। यूनिट ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि विकासक ने यूनिट को दिसंबर 2012 तक निर्माण पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की है। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने अक्टूबर 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की योजना बनाई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 4 फरवरी 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आई गेट पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 5 फरवरी 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आई गेट पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त द्वारा प्रदान की गई मूल वैधता अवधि के बाद दो साल का समय विस्तार प्रदान किया गया था। इसके बाद 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक साल का समय विस्तार प्रदान किया गया। यूनिट ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि विकासक ने 14 दिसंबर 2011 को भवन तथा अन्य अवसंरचना सुविधा के निर्माण के लिए अवधि बढ़ाई है। यूनिट ने बताया है कि वास्तुकार द्वारा

विधिवत रूप से प्रमाणित मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा मार्च 2013 तक पहले चरण के पूर्ण हो जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 23 अप्रैल 2012 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के माध्यम से मिहान एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त द्वारा यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 23 अप्रैल, 2011 तक बढ़ाई गई थी। 22 जुलाई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाई गई। यूनिट ने दो साल की अवधि के लिए अर्थात 23 अप्रैल 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि कुछ अप्रत्याशित अड़चनों के कारण वह सुविधा का निर्माण शुरू करने में असमर्थ है तथा समय सीमा के अंदर परियोजना लागू नहीं कर सकी।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि मिहान एसईजेड के लिए टीसीएस प्रतिष्ठित परियोजना है। 19 दिसंबर 2011 को महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्य मंत्री ने परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा वैश्विक मंदी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ तथा अब कंपनी उपर्युक्त परियोजना को लेकर गंभीर है तथा 2014 में प्रचालन आरंभ होने की उम्मीद कर रही है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 27 मार्च 2012 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एफएबी सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सोलर फोटोवाल्टिक सेल (क्षमता 120 मेगावाट) तथा सोलर फोटोवाल्टिक माड्यूल (क्षमता 40 मेगावाट) के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 28 मार्च 2008 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त द्वारा प्रदान की गई मूल वैधता अवधि के बाद तीन बार समय विस्तार प्रदान किया गया। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 27 मार्च, 2012 तक वैध थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा सूचित किया है कि दिसंबर 2012 के अंत तक प्रचालन आरंभ हो जाने की उम्मीद है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि यूनिट 211 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) 5 मार्च 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड, जो उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 6 मार्च, 2008 के माध्यम से मैसर्स विप्रो लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त द्वारा प्रदान की गई मूल वैधता अवधि के बाद अनेक समय विस्तार प्रदान किया गया। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 मार्च, 2012 को समाप्त हो रही है। यूनिट ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि अवसंरचना के लिए संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो गया है परंतु अपनी भुवनेश्वर यूनिट के लिए निर्यात आर्डर के अभाव के कारण यह निर्यात शुरू करने में असमर्थ है। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने 41.34 करोड़ रुपए का निवेश किया है (इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है) तथा 2012-13 की तीसरी तिमाही से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 6 मार्च 2012 से 5 सितंबर 2012 तक अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.13 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 13 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यूरोसर्किट इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा इलेक्ट्रानिक के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण एवं आयात के लिए एलओपी दिनांक 14 मार्च 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स यूरोसर्किट इंडिया लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने समय समय पर कुल 3 साल की अवधि के लिए 13 मार्च 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी। इसके अलावा 23 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को 23 मार्च 2012 तक एक साल के लिए विस्तार प्रदान किया गया था। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने सूचना प्रदान की है कि उन्होंने एचटी पावर के लिए आवेदन किया है तथा 13 जून 2012 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसलिए 13 जून 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीन माह की अवधि के लिए अर्थात 13 जून 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 8 जून, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सहलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो सूरत अपैरल पार्क - एसईजेड, साचिन, सूरत, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

अपैरल और मेडअप के निर्माण एवं आयात के लिए एलओपी दिनांक 19 जून 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स शहलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 8 जून, 2010 तक बढ़ाई थी।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार यूनिट ने कारखाना भवन में 145 लाख रुपए तथा मशीनरी में 90 लाख रुपए का निवेश किया है। तथापि, वैश्विक मंदी तथा निर्यात आर्डर के अभाव के कारण वे वाणिज्यिक उत्पादन एवं निर्यात शुरू नहीं कर सके। इसके अलावा भूलवश यूनिट 8 जून 2010 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी वजह से एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के अनुसरण में एलओपी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट को उत्पादन और निर्यात आरंभ होने का विश्वास है और इसलिए 8 जून 2011 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट द्वारा किए गए काफी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की उसकी मंशा को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 29 मई 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 30 मई 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 09 मई, 2010 तक बढ़ाई थी। इसके अलावा 29 मई 2010 के बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाई गई है। 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 मई 2012 तक वैध है। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज ने बताया है कि यूनिट विकास कार्य शुरू नहीं कर सकी क्योंकि भूखंड पर अतिक्रमण (आश्रम एवं मंदिर) के मुद्दे थे तथा एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासक द्वारा भूमि शामिल की गई जिसके कारण यूनिट को अपने भूखंड का क्षेत्रफल बताकर 10000 वर्गमीटर करना पड़ा। इसके अलावा 2009 के अंत तक अपेक्षित अवसंरचना तैयार नहीं थी। उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद यूनिट ने अपने प्लाट के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा करा लिया है जिससे आश्रम अलग हो गया है परंतु यूनिट अपनी परियोजना पूरी नहीं कर सकी। यूनिट ने 20 दिसंबर, 2011 को सीआरजेड क्लियरेंस प्राप्त किया है। तथापि, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी तक एनओसी प्राप्त नहीं हुई है। परियोजना को पूरा करने के लिए यूनिट को कुछ और समय की आवश्यकता है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 मई 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.14 : छ: साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 9 फरवरी, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जैश फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

फर्मास्युटिकल के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 10 फरवरी 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जैश फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को समय-समय पर विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 09 फरवरी, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने 9 फरवरी 2012 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड ने सूचित किया है कि विद्युत कंपनी से विद्युत का स्थायी कनेक्शन न मिलने के कारण यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सकी। इसके अलावा यूनिट ने 100 प्रतिशत पूंजी माल का प्रापण एवं इंस्टालेशन किया है तथा स्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के बाद शीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट ने अब तक 4.59 करोड़ रुपए का निवेश किया है और उसके हाथ में 4 लाख डालर के आर्डर आ चुके हैं।

इसलिए विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से दो साल की अवधि के लिए (अर्थात 9 फरवरी 2013 तक) वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.15 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मद के आयात के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कैरन इंडिया लिमिटेड जो डीटीए की यूनिट है, से क्रूड ऑयल के प्रापण के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जामनगर, गुजरात में मैसर्स रिलायंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर एसईजेड में 27 एमएमपीटीए की एक रिफाइनरी तथा एक पीपी कम्प्लेक्स स्थापित किया है। यूनिट विश्व के विभिन्न देशों से एसईजेड में अपनी रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल की अपनी संपूर्ण आवश्यकता का आयात करती है। यूनिट ने मैसर्स कैरन इंडिया लिमिटेड से डीटीए से क्रूड ऑयल के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि डीटीए यूनिट राजस्थान में मंगला फील्ड से 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रही है तथा उम्मीद है कि कंपनी अपना आउटपुट 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन

प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) करेगी और संभवत: इससे भी अधिक बढ़ाएगी जब भाग्यम फील्ड से अधिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मंगला क्रूड बहुत भारी है तथा उसकी एपीआई ग्रेविटी 25-30 के बीच है। मंगला क्रूड का पोर प्वाइंट भी बहुत ऊंचा अर्थात 42 डिग्री सेल्सियस है। क्रूड के चिपचिपा होने के कारण रूम टेम्परेचर पर यह ठोस बन जाता है। इसलिए मंगला क्रूड के परिवहन के लिए पाइप लाइन में हीटिंग की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि क्रूड लिक्विड रूप में बना रहे। मंगला क्रूड की गुणवत्ता के कारण उसे प्रोसेस करने के लिए अधिकांश भारतीय घरेलू रिफाइनरी में कनफिगरेशन का अभाव है। अन्य लाजिस्टिकल समस्याओं से जूझ रही हैं।

यह भी बताया गया है कि जामनगर में आरआईएल के रिफाइनरी कम्प्लेक्स में एक डीटीए रिफाइनरी (33 एमएमटीपीए) और एक एसईजेड रिफाइनरी (27 एमएमटीपीए) शामिल हैं जो मंगला फील्ड से हीटेड पाइप लाइन से जुड़ी हैं। इस समय डीटीए रिफाइनरी अन्य क्रूड के साथ मंगला क्रूड के लगभग 4 एमएमटीपीए की अधिकतम संभव मात्रा को प्रोसेस कर रही है। तथापि, एसईजेड रिफाइनरी जो अधिक भारी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए तैयार की गई है, मंगला क्रूड का प्रयोग करने में असमर्थ है क्योंकि इसे विदेश व्यापार नीति के वर्तमान प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित मद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए यूनिट ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसरण में मैसर्स कैरन इंडिया लिमिटेड से क्रूड ऑयल के आयात के लिए अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, जामनगर एसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है। यूनिट के विस्तृत अनुरोध के साथ विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 2 (पृष्ठ संख्या 34-39) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) जिला अमरेली, गुजरात में मैसर्स ई-कम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स पिपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

यूनिट निर्यात के लिए वेजल के निर्माण / विनिर्माण की प्रक्रिया में शामिल है तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं रक्षा यूनिटों को आपूर्ति करती है। यूनिट ने भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू पोतों के निर्माण के लिए आर्डर प्राप्त किया है। यूनिट ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है :

(i) भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जाने वाले लड़ाकू पोतों के लिए प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए अनुमति। यूनिट का पत्र दिनांक 12 दिसंबर 2011 जिसमें आयात करने के लिए प्रस्तावित मदों का ब्यौरा प्रदान किया गया है, अनुबंध 3 (पृष्ठ संख्या 40-42) के रूप में संलग्न है।

(ii) भारतीय नौसेना के लिए पैनामेक्स वेजल, आफशोर वेसल तथा लड़ाकू पोतों के निर्माण के लिए नेविगेशनल वायरलेस संचार उपकरणों के प्रापण के लिए अनुमति। यूनिट का पत्र दिनांक 12 दिसंबर 2011 जिसमें आयात करने के लिए प्रस्तावित मदों का ब्यौरा प्रदान किया गया है, अनुबंध 4 (पृष्ठ संख्या 43-45) के रूप में संलग्न है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ यूनिट के उपर्युक्त अनुरोधों को अग्रेषित किया है।

तद्नुसार, अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) एफटीडब्ल्यूजेड के निर्धारित क्षेत्र में कार्गो के स्वामियों की ओर से वनस्पति तेल के आयात, भंडारण एवं पुन: निर्यात के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। विकासक ने एफटीडब्ल्यूजेड के निर्धारित क्षेत्र में कार्गो के स्वामियों की ओर से वनस्पति तेल के आयात, भंडारण एवं पुन: निर्यात के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि कुछ प्रतिष्ठित विदेशी पक्षकारों ने एफटीडब्ल्यूजेड क्षेत्र में क्रूड / रिफाइन वनस्पति के लाने, कार्गो का भंडारण करने और फिर पुन: निर्यात करने में रुचि प्रदर्शित की है। इसका एक बड़ा भाग क्रूड वनस्पति तेल के रूप में होगा जिसका उपभोग रिफाइनिंग के बगैर सीधे नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्रूड वनस्पति तेल पर इस समय सीमा शुल्क शून्य है। प्रचलित विदेश व्यापार नीति के अनुसार वनस्पति तेल (अध्याय 15) का आयात किसी प्रतिबंध के बगैर अनुमत है, परंतु उसका निर्यात निषिद्ध है। तथापि, एसईजेड नियमावली के नियम 45 (1) तथा अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसरण में निर्यात के लिए निषिद्ध मदों को अनुमोदन बोर्ड की अनुमति से एसईजेड से निर्यात की अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि ऐसा निषिद्ध माल डीटीए से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 5 (पृष्ठ संख्या 46 - 48) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड की रिपोर्ट ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने की सिफारिश की है।

(iv) "फेरो मैगनीज स्लैग" जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड जो अत्चुतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड ने फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त एपीएसईजेड से अनुरोध किया है, जो निर्मित उत्पादक अर्थात सिलिकॉन मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल में से एक है। फेरो मैग्नीज स्लैग सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 26209900 के तहत शामिल है तथा आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार इसका आयात और निर्यात प्रतिबंधित है। यूनिट ने सूचित किया है कि 12 माह के लिए उत्पादन योजना के अनुसार उक्त कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा 204000 मीट्रिक टन (अर्थात 17000 मीट्रिक टन प्रतिमाह) है।

24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विचार विमर्श तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया क्योंकि नियोजित आयात / निर्यात गतिविधि की संपूर्ण श्रृंखला तथा डीटीए प्रभाव, यदि कोई हो, के संबंध में ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। विकास आयुक्त स्पष्ट कर सकते हैं।"

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड से इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि फेरो मैगनीज स्लैग के प्रस्तावित आयात पर कोई डीटीए प्रभाव नहीं होगा। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि परियोजना शुरू होने के कगार पर है और इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्लियरेंस के अधीन अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 5 क (पृष्ठ संख्या 49 - 54) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.16 : एलओपी में प्रोसेस्ड मेटल स्क्रैप जैसे कि टिटेनियम, निकेल, टंगस्टन, मोलिबडेनिम और कोबाल्ड स्क्रैप को शामिल करने के लिए मैसर्स डीआरके मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

फेरो वनडेंडियम, फेरो मोलिबडेनियम, फेरो टंगस्टन, फेरो निकेल एवं कोबाल्ट आक्साइड के निर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स डीआरके मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड को 9 मई 2006 को एलओपी प्रदान किया गया था। बाद में यूनिट को एफएसईजेड द्वारा फेरो टिटेनियम, एलसी फेरो मैग्नीज, एमसी फेरो मैग्नीज, एलसी फेरो क्रोम जैसी मदों को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।

अब यूनिट ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में एलओपी में प्रोसेस्ड विशेष मेटल स्क्रैप जैसे कि टिटेनियम, निकेल, टंगस्टन, मोलीबडेनियम एवं कोबाल्ड स्क्रैप को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि इस प्रयोजन के लिए किसी अतिरिक्त सीजी की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी बताया गया है कि प्रक्रिया में सुखाना, छांटना, आकार देना, पीसना तथा पैकेजिंग करना जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

15 फरवरी 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। समिति ने टिप्पणी की कि सभी मदें (निकेल स्क्रैप को छोड़कर) अपशिष्ट / स्क्रैप की प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा यूनिट ने शामिल प्रक्रिया में से एक के रूप में पृथक्करण को भी शामिल किया है। इसलिए यूनिट अनुमोदन समिति ने अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.17 : ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स चेर्विल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड) को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को जारी रखना / वैधता अवधि बढ़ाना

ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। बाद में विकासक के अनुरोध पर औपचारिक अनुमोदन को एलओए दिनांक 30 जून 2010 के माध्यम से मैसर्स चेरविल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईपीएल) के नाम में अंतरित किया गया। इसके बाद एनआईपीएल से यह शिकायत प्राप्त हुई कि मैसर्स सीआईपीएल ने अपने नाम में फर्जी ढंग

से औपचारिक अनुमोदन अंतरित कराया है। सीआईपीएल से इस शिकायत के विरुद्ध शिकायत भी प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी को खास निदेशकों से हानिकर असहयोग प्राप्त हो रहा है, जो विकास के सपने को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और यह कि कंपनी को एसईजेड के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में गैर विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोनों कंपनियों ने आरओसी में तथा पुलिस में भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। तद्नुसार विकास आयुक्त, केएएसईजेड से रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें यह सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया कि एसईजेड के रूप में विकसित किए जा रहे प्रस्तावित भूमि पर इस पक्ष का स्पष्ट अधिकार है। विकास आयुक्त ने कलेक्टर, वड़ोदरा से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अपनी रिपोर्ट में विकास आयुक्त ने बताया है कि एसईजेड के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर किसी भी पक्ष का विधिसम्मत एवं कानूनी कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि उक्त भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त नहीं है। चूंकि विवाद से जुड़े किसी भी पक्ष का भूमि पर कब्जा नहीं है, इसलिए उचित होगा कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त कर दिया जाए।

तद्नुसार 28 नवंबर, 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखा गया। अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया कि दोनों पक्षों अर्थात निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स चेरविल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अब अपने विवादों का समाधान कर लिया है अर्थात उनमें सहमति हो गई है तथा आस्थगन के लिए अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को इस मामले में अगली बैठक से पहले स्पष्ट रिपोर्ट प्रदान करने का निदेश दिया और तद्नुसार प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।"

विकास आयुक्त, केएएसईजेड से रिपोर्ट दिनांक 3 फरवरी 2012 (अनुबंध 6, पृष्ठ संख्या 55-56) प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता डिक्री प्रस्तुत की है। समझौता डिक्री के अनुसार मैसर्स एनआईपीएल एवं मैसर्स सीआईपीएल के बीच विवाद का समाधान हो गया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है वह विवादित है तथा कंपनी वैकल्पिक भूमि की तलाश कर रही है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड की वर्तमान रिपोर्ट तथा पिछली रिपोर्ट दिनांक 16 जून 2011 (पृष्ठ संख्या 57-63) से ऐसा प्रतीत होता है कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए जिस भूमि पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है उस पर किसी भी पक्ष का स्पष्ट स्वामित्व नहीं है। इसके अलावा भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की पूर्वापेक्षा है।

इस मामले में निर्णय के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.18 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के मूवमेंट के लिए नए क्षेत्र में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का प्रस्ताव

केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यह एसईजेड 971.25 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से 271.25 एकड़ का क्षेत्रफल नए क्षेत्र के रूप में विख्यात है। नया क्षेत्र और पुराना क्षेत्र के बीच एक सार्वजनिक सड़क है। इसलिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसार सन्निकटता स्थापित करने के लिए नया एवं पुराना दोनों क्षेत्रों को आरओबी से कनेक्ट किया गया। 18 नवंबर 2010 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड

ने ओडीसी कार्गो के लिए एक अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे केएएसईजेड के पुराने क्षेत्र में बनाया गया है जहां ओडीसी कार्गो का निर्माण एवं निर्यात करने वाली यूनिटें मौजूद हैं।

यह भी सूचित किया गया है कि एसईजेड प्रशासन ने एफटीडब्ल्यूज़ेड के विकास के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की है। मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ दो सह विकासकों अर्थात मैसर्स इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स वर्ल्ड विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई है। उपर्युक्त सह विकासकों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एसईजेड के नए क्षेत्र में एक ओडीसी गेट के लिए अनुरोधा किया है कि वे टिंबर लॉग एवं मशीनरी जैसे ओडीसी कार्गो के भंडारण के लिए भूमि आवंटित करने जा रहे हैं जो अपनी लंबाई / आकार तथा वजन के कारण नियमित गेट से और फ्लाईओवर के माध्यम से भी अंदर / बाहर मूव नहीं कर सकता है। फ्लाईओवर से जो अधिकतम वजन मूव कर सकता है वह मात्र 60 टन है। इसलिए फ्लाईओवर से ओवर वेट कार्गो के मूवमेंट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

केएएसईजेड ने यह भी बतया है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एसईजेड के नए क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर एक और प्रवेश / निकास द्वार खोलना ऐसे कार्गो के मूवमेंट के लिए आवश्यक है। नए क्षेत्र के पास निर्मित पार्किंग एरिया के ठीक पीछे अतिरिक्त गेट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसलिए केएएसईजेड ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11(2) के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.19 : डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो डीएलएफ इनफो सिटी एसईजेड, चेन्नई की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएसएल) मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स द्वारा चेन्नई में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है।

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मैसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स एसईजेड द्वारा मुंबई में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित टीसीएस यूनिट में डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि अपनी व्यवसाय सततता योजना के अंग के रूप में उन्होंने किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हीरानंदानी एसईजेड में अपनी यूनिट में अस्थायी रूप से कर्मचारियों को ले जाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, सामग्री एवं परिसंपत्तियों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में एसटीपीआई लोकेशन, बंगलौर में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो यूनिट 1 इनफोस्पेस एसईजेड, कोलकाता की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएसएल) यूनिटेक इनफोस्पेस एसईजेड, कोलकाता की यूनिट है। टीसीएसएल मैसर्स टीसीएस ई-सर्व इंटरनेशनल लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जिसकी ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर में एक एसटीपी यूनिट है। यूनिट ने बंगलौर में एसटीपी यूनिट में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने अन्य स्थानों की तुलना में उपर्युक्त स्थान को चुनने के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है :

(i) **विशेष रूप से ग्राहक के लिए भौतिक सुरक्षा नियंत्रण सेटअप : - परिसरों में अक्सेस नियंत्रण, बायोमीट्रिक अक्सेस कंट्रोल सीसीटीवी मॉनिटरिंग, फ्रिसकिंग, प्रिंटर, स्कैनर आदि के प्रवेश पर प्रतिबंध**

(ii) **प्रत्येक ग्राहक के लिए विशिष्ट कार्य क्षेत्र में प्रतिबंध : - काम पर कंप्यूटर में विशिष्ट अक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सेपरेशन, अप्लीकेशन तक पहुंच को कनेक्टिविटी डिजाइन के अंग के रूप में विशिष्ट आईपी अड्रेस से संभव बनाने की आवश्यकता होगी, प्रत्येक ग्राहक द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित सर्वर एवं फायरवाल कंट्रोल।**

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है। यूनिट के विस्तृत अनुरोध के साथ विकास आयुक्त, एफएसईजेड का पत्र अनुबंध 7 (पृष्ठ संख्या 64-66) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड लोकेशन पर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में व्यवसाय सततता योजना के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

परिदृश्य 1 : चेन्नई के अंदर बैकअप सुविधाएं
चेन्नई में कंपनी की एक एसईजेड साइट तथा दो एसटीपीआई साइट हैं। आपदा की स्थिति में एसईजेड यूनिट को चेन्नई में दो एसटीपीआई सेंटर में से किसी में ले जाने का प्रस्ताव है। एसटीपीआई सेंटर, चेन्नई में आपदा की स्थिति में एसटीपीआई यूनिटों को एसईजेड साइट पर शिफ्ट किया जाएगा।

परिदृश्य 1 : चेन्नई के अंदर एसईजेड तथा 2 एसटीपीआई सेंटर पर आपदा की स्थिति में अन्य शहरों में एसईजेड चेन्नई के लिए बैकअप सुविधाएं

कंपनी ने चेन्नई से बाहर एसईजेड / एसटीपीआई सेंटर (विभिन्न शहरों में स्थित) की सूची संलग्न की है जिनमें शहर में आपदा की स्थिति में एसईजेड चेन्नई की परियोजनाओं (1 एसईजेड तथा 2 एसटीपीआई यूनिट) को ले जाने का प्रस्ताव है। विलोमत: चेन्नई में एसईजेड साइट में अन्य शहरों में किसी एसटीपीआई / एसईजेड सुविधा का बैकअप हो सकता है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है। यूनिट के विस्तृत अनुरोध के साथ विकास आयुक्त, एमईपीजेड का पत्र अनुबंध 8 (पृष्ठ संख्या 67-75) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.20 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) अपना नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) का अनुरोध

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में निम्नलिखित एसईजेड का विकासक है :

क्र. सं.	क्षेत्र	स्थिति	क्षेत्रफल
1.	बहु उत्पाद	अधिसूचित	6472.8684 हेक्टेयर
2.	बहु उत्पाद	औपचारिक रूप से अनुमोदित	1840 हेक्टेयर
3.	एफटीडब्ल्यूजेड	औपचारिक रूप से अनुमोदित	168.41 हेक्टेयर

विकासक ने कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि एमपीएसईजेडएल अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अत: अडानी ब्रांड से संरेखण स्थापित करने और ग्रुप के अंदर इसे एकल पहचान प्रदान करने के लिए भी कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने का निर्णय लिया गया है। विकासक ने यह भी बताया है कि ग्रुप की पहचान तथा कंपनी के वैश्विक व्यवसाय को प्रदर्शित करने के लिए नाम में परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए विकासक ने एमपीएसईजेडएल के नाम में जारी किए गए सभी अनुमोदनों, अधिसूचनाओं में कंपनी के नाम में परिवर्तन को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 06 जनवरी, 2012 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ है तथा शेयरहोल्डिंग पैटर्न या स्वामित्व या निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए विकास आयुक्त, ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) अपना नाम बदलकर मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कीरंथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है। सह विकासक ने कंपनी

का नाम बदलकर मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 21 अक्टूबर, 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे मामलों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने का वचन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ है तथा कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विकासक को भी अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) अपना नाम बदलकर मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड चेंगलपट्टू, नेन्नई में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी, हार्डवेयर तथा बायो-इनफार्मेटिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है। सह विकासक ने कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सह विकासक मैसर्स असेंडास लैंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एएलआई) जिसमें एमडब्ल्यूसीडीएल 26 प्रतिशत इक्विटी का धारक है, के साथ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल) के बीच संयुक्त उद्यम है। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एएलआई को अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी का विनेवश करने के लिए एमडब्ल्यूसीडीएल को मंजूरी प्रदान की गई जिससे सह विकासक संस्था में 100 प्रतिशत इक्विटी का धारक बनने के लिए एएलआई के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। नाम में परिवर्तन एएलआई द्वारा एमडब्ल्यूसीडीएल के 26 प्रतिशत शेयर के अधिग्रहण के अनुसरण में है। कंपनी रजिस्ट्रार, तमिलनाडु द्वारा 27 सितंबर, 2010 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे मामलों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने का वचन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विकासक को भी अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। उपर्युक्त के अनुसार इक्विटी के विनिवेश के लिए अनुमोदन के अनुसरण में शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कमोबेश कोई परिवर्तन नहीं है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) अपना नाम बदलकर मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित एसईजेड का विकासक है :

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	अधिसूचना की तिथि	क्षेत्रफल
1.	शेंद्रे, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (मूलत: जैव प्रौद्योगिकी)	5 अगस्त, 2008	10 हेक्टेयर
2.	शेंद्रे, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड	22 अक्टूबर,2008	100 हेक्टेयर

मैसर्स मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड कर लिया है तथा उपर्युक्त एसईजेड में अपना नाम बदलने के लिए अनुरोध किया है जिनमें यह विकासक है। कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार महाराष्ट्र द्वारा 10 अगस्त, 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ है तथा शेयरहोल्डिंग पैटर्न, निदेशकों तथा कंपनी के प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुरोध श्रेणी 1 में आता है जो "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में है। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिसूचित हैं इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) कंपनी के डिमर्जर जिससे तीन कंपनियों का जन्म होगा, तथा एक डिमर्ज कंपनी को अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.1766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक कंपनी अर्थात मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) का विलय निम्नलिखित कंपनियों में हो गया है :

(i) **मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल)**
(ii) नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल)
(iii) फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल)

2011 की कंपनी स्कीम याचिका संख्या 504, 505 और 506 में आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के माध्यम से बांबे में जुडीकेटर के माननीय उच्च न्यायालय के कंपनी बेंच द्वारा उक्त डीमर्जर किया गया है।

विकासक (एफआईपीएल) ने अपने एसईजेड की सभी भूमि तथा मौजूदा निर्माण का स्वामित्व मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया है, जो विकासक के रूप में उनको प्रतिस्थापित करेगा। विलय से उत्पन्न अन्य कंपनी अर्थात फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) एमआईडीसी, डीसी नियमावली के अनुसार उपलब्ध शेष / अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग करेगा तथा उक्त डीसी नियमावली के अनुसार अतिरिक्त निर्माण के लिए एसईजेड में उसे शामिल करेगा और सह विकासक के रूप में आएगा। सभी तीन कंपनियों के शेयरधारक समान हैं।

विकासक ने अपनी विलयित कंपनी अर्थात नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) को एसईजेड के स्वामित्व का अंतरण करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक ने सह विकासक के रूप में एफडीपीएल को मंजूरी प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया था जिसे अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में अनुमोदित किया गया। तथापि, अनुमोदन के अंतरण के लिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि नवगठित कंपनियों के बीच नई व्यवस्थाओं के वित्तीय ब्यौरे जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को निदेश दिया गया कि वे सीबीडीटी को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।"

अब सीबीडीटी को सूचना प्रदान की गई है। इसलिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सटीएसआई) को अपनी शेयर होल्डिंग का 100 प्रतिशत अंतरित करने के लिए सह विकासक मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीपीएल) का अनुरोध

मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को केयोनिक्स द्वारा शिमोगा, कर्नाटक में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए 29 नवंबर 2010 को एलओए प्रदान किया गया था। सह विकासक (जो एक्सचेंजिंग ग्रुप की कंपनी है) ने अब एक्सचेंजिंग ग्रुप के साथ आंतरिक पुनर्गठन के अंग के रूप में मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सचेंजिग ग्रुप कंपनी भी) को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। मैसर्स एक्सटीएसआई ने इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया है कि मैसर्स सीबीपीएल के शेयरों के उनके अधिग्रहण के बाद मैसर्स सीबीपीएल अलग कंपनी के रूप में बनी रहेगी तथा प्रचालन करेगी और शेयरों की ऐसी खरीद के अनुपालन में और परिसंपत्तियों या देयताओं के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक (जो एक्सचेंजिंग ग्रुप की कंपनी है) ने अब एक्सचेंजिंग ग्रुप के अंदर आंतरिक पुनर्गठन के अंग के रूप में मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सचेंजिग ग्रुप कंपनी भी) को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि जांच के लिए ग्रुप की कंपनियों के बीच नई व्यवस्था के वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड को निदेश दिया गया कि वे सीबीडीटी को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।"

सीबीडीटी को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.21 : प्रसंस्करण क्षेत्र में आईसी सुविधा स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध के विरुद्ध गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध

तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सह विकासक अनुमोदित किए गए :

(क) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के रूप में 5000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने तथा खाद्य परीक्षण एवं प्रमाणन सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(ख) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के रूप में 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एम्लायबिलिटी (बी-एबल)

अब सह विकासकों ने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रस्तुत किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 8 क (पृष्ठ 76-77) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट अनुबंध 8 ख (पृष्ठ संख्या 77क - 77ख) के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 51.22 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सन एरोमेटिक्स की अपील

मैसर्स सन एरोमेटिक्स ने एरोमेटिक तथा संबद्ध उत्पादों के निर्माण के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। पत्र दिनांक 25 नवंबर, 2011 के माध्यम से आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मैसर्स सन एरोमेटिक्स ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अपील पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है

"अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता फर्म एसईजेड में प्रस्तावित व्यवसाय परियोजना के लिए विशिष्ट कानूनी संस्था है तथा केवल इस कारण से एसईजेड यूनिट स्थापित करने के अधिकार से वंचित करना अनुचित है कि प्रमोटरों में से एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीजीईपी को कारण बताओ नोटिस, इसके स्वरूप एवं विशालता की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार डीजीईपी से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है (अनुबंध 9, पृष्ठ 78-79)। अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित विशिष्ट सेवाओं के तहत "अचल संपत्ति की रेंटिंग" सेवा को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड की अपील

मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड मुसाल एवं गुलवंच गांव, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास है। सह विकासक ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित विशिष्ट सेवाओं के तहत "अचल संपत्ति की रेंटिंग" सेवा को शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। अनुरोध पर 4 जनवरी 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट द्वारा

अपील दाखिल किए जाने का आधार तथा यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुबंध 10 (पृष्ठ संख्या 80-84) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी को निरस्त किए जाने के विरुद्ध मैसर्स जीवन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

एलओपी दिनांक 14 अगस्त, 2007 के माध्यम से मैसर्स जीवन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आईटी / आईटीईएस सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। पत्र दिनांक 9 नवंबर 2011 के माध्यम से विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (2) (1) के प्रावधानों के गैर अनुपालन के आधार पर 8 नवंबर 2011 से एलओपी निरस्त कर दिया है। इसके बाद निर्दिष्ट अधिकारी ने पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2011 के माध्यम से 4571808 रुपए के लिए मांग की जो यूनिट द्वारा प्राप्त की गई ड्यूटी छूट के रूप में है। यूनिट ने उपर्युक्त निर्णयों के विरुद्ध अभिवेदन किया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा अभिवेदन पर विचार किया गया तथा पत्र दिनांक 9 फरवरी 2012 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। पत्र दिनांक 9 नवंबर 2011, 30 दिसंबर 2011 और 9 फरवरी 2012 अनुबंध 11 (पृष्ठ संख्या 85-87) के रूप में संलग्न हैं।

उपर्युक्त से व्यथित मैसर्स जीवन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट द्वारा अपील दाखिल किए जाने का आधार अनुबंध 12 (पृष्ठ संख्या 88-92) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****